Indian J. Soc. & Pol. 05(02):63-64:2018 **ISSN: 2348-0084(PRINT)**
UGC List No. 47956 (Till May 2, 2018) **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारत में धर्म और राजनीति

सन्तोष कुमार सिंह[1a]
[a]प्रवक्ता (राजनीतिशास्त्र),चौरी बेलहा महाविद्यालय,तरवा, आजमगढ़, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

धर्म किसी भी सभ्य मानव समाज का आधार स्तम्भ है, जिसके सहारे सम्पूर्ण मानव समाज रूपी भवन टिका होता है। इसलिए धर्म विहीन समाज या राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। धर्म सम्पूर्ण मानव समाज की 'प्राणन् शक्ति' अर्थात सत् है। इस सम्बन्ध में यह श्रुति वाक्य है कि 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा' अर्थात धर्म से ही संसार स्थापित है। सामान्य रूप से धर्म का अर्थ होता है 'धारण करने योग्य'। यह व्यक्तिगत होने के साथ–साथ सामूहिक भी होता है। जिसका उद्देश्य मानव को आदर्श बनाकर आदर्श समाज की स्थापना करना है। धर्म को परिभाषित करते हुए एच.एम. जानसन ने लिखा है कि ''धर्म अलौकिक प्राणियों, शक्तियों, स्थानों एवं अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों एवं रीतियो की एक सुसंयत प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जिसका उसके अनुयायियों के व्यवहार एवं कल्याण पर प्रभाव पड़ता है।''

***KEY WORDS:** भारत, धर्म, राजनीति, साम्प्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता*

धर्म और राजनीति की घनिष्ठता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समस्त ज्ञान स्रोत धर्म ग्रन्थ हैं। धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किये बिना हम न तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते है और न ही समझ सकते हैं। मनु द्वारा लिखित 'मनुस्मुति' को भारत का सबसे प्राचीनतम् ग्रन्थ माना जाता है। मनुस्मुति में मनु ने जिस राज्य की कल्पना की थी वह ईश्वर द्वारा निर्मित था अर्थात् मनु दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त में आस्था रखता है। मनु ने राजा को धर्म तथा नैतिकता के अधीन माना। यहां मोटवानी का यह कथन प्रासंगिक लगता है कि "राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है कोई भी राजा धर्म विरूद्ध व्यवहार नहीं कर सकता है। धर्म राजाओं और मनुष्यों पर एक समान ही शासन करता है।"(सिंह एवम् मल्ल,2015 पृ014.15) मनु राजा को सभी देवताओं का श्रेष्ठांश मानता है। इसलिए वह कहता है कि राजपद पर यदि कोई बालक भी आसीन हो तो किसी को उसके आदेश का उल्लघंन नहीं करना चाहिए। देवताओं का श्रेष्ठांश होने के बावजूद मनु राजा को निरंकुश या अमर्यादित (धर्म विरूद्ध) आचरण करने की अनुमति नहीं देता है। यदि किसी राजा के द्वारा धार्मिक व नैतिक मान्यताओं के विरूद्ध आचरण किया जाय तो उसे एक सामान्य नागरिक से अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए। आगे वह कहता है कि यदि किसी अपराध में दण्ड एक पण है तो राजा द्वारा वही अपराध करने पर उसे सौ पण दण्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अधिक योग्य और विद्वान होता है।

छठी सदी ई.पू. भारत में अनेक सम्प्रदायों का उदय हुआ। इसलिए इस काल को ऐतिहासिक दृष्टि से धार्मिक क्रान्ति या महान परिवर्तनों का काल कहा जाता है। इसी काल में जैन धर्म का उद्भव हुआ जिसका मूल मन्तव्य था 'अपने मनोवेगों का सफलता पूर्वक दमन करके स्वयं को वश में कर लेना'। यह त्याग पर आधारित दर्शन था जो समाज व राजनीतिक व्यवस्था के उस कुप्रथा को समाप्त करना चाहता था जिसके आधार पर लोगों को ऊँच–नीच मानते हुए भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता था। मुस्लिम काल में धर्म का उपयोग राजसत्ता को मजबूत करने के लिए किया गया। इसके लिए धर्मान्तरण को हथियार बनाया गया। जिसके माध्यम से दूसरे धर्मो के लोगों को मुस्लिम बनाने की पुरजोर कोशिश की गयी लेकिन इसी काल में अकबर का 'दीन ए इलाही' अस्तित्व में आया। जिसने सर्वधर्म समभाव की धारणा को बल प्रदान किया। शिवाजी के बारे में एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है कि शिवाजी ने सैन्य अभियान के दौरान मुस्लिमों के विरूद्ध किसी भी अपमानजक कार्यवाही से बचने का प्रयास किया। यदि उनके सैनिकों को कुरान की कोई प्रति मिलती थी तो उसे आदर पूर्वक मुस्लिमों को लौटा दिया जाता था।

भारतीय पुनर्जागरण आन्दोलन के कुछ नेताओं ने खुले रूप में इस बात का समर्थन किया कि हमें जानबूझ कर वेदों, उपनिषदों, गीता, पुराणों आदि प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर अपने वर्तमान जीवन को ढालना चाहिए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'वेदों की ओर लौटो' का नारा दिया। धर्म और धार्मिक विचारों ने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र से ही हुई थी। धर्म ने भारत में एकता तथा स्थिरता बनाये रखने के लिए भी सृजनात्मक शक्ति का काम किया। यहां तक कि जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हुई तो धर्म ने उसकी पुर्नस्थापना में सहयोग दिया। धर्म ही निरन्तर भारतीय जीवन का

1: Corresponding Author

आधार रहा है। इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किये जाने चाहिए।(वर्मा,पृ0138)

महात्मा गाँधी की धर्म में अडिग आस्था थी। इसलिए वे राजनीति का आध्यात्मीकरण करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे धर्म को राजनीति में प्रविष्ट कराना चाहते थे। उनका मानना था कि धर्म मानव जीवन व मानव समाज का आधार है। जिसके अभाव में इन दोनो का शून्य एवं निष्प्राण हो जाना अनिवार्य है। धर्म गाँधी जी के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक शब्द का प्रेरक था। इस सम्बन्ध में स्वयं गाँधी जी ने कहा था कि ''जब से मैंने यह जाना है कि सार्वजनिक जीवन क्या है तब से मेरे प्रत्येक कार्य एवं शब्द के मूल में पूर्ण धार्मिक भावना रही है।''(गर्ग 2015 पृ0200) धर्म मानव सेवा की प्रेरणा देता है जो राजनीति का भी मूल उद्देश्य है। इसलिए उन्होने कहा था कि ''मेरे लिए मोक्ष का एकमात्र मार्ग यही है कि मै देश और मानव जाति की सेवा के लिए निरन्तर परिश्रम करना चाहता हूँ। गीता की भाषा में मैं अपने मित्रों एवं शत्रुओं दोनों के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहता हूँ। अतः मेरे लिए देश भक्ति शाश्वत स्वतन्त्रता तथा शान्ति लोक की यात्रा की एक मंजिल है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गाँधी जी धर्म से शून्य राजनीति की कल्पना भी नहीं करते थे। उनका कहना था कि राजनीति धर्म के अधीन है। धर्म से शून्य राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि उसमे आत्मा का हनन होता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी प्रकार का धर्म–तान्त्रिक शासन स्थापित करना चाहते थे। धर्म से उनका अभिप्राय ईश्वर के साथ एकता कायम करना है। वह एक प्रचण्ड शक्ति है। इसलिए राजनीति में धर्म को समाविष्ट करने का अर्थ था न्याय तथा सत्य की ओर उत्तरोत्तर प्रगति करना क्योंकि धार्मिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के उत्पीड़न तथा शोषण को सहन नही कर सकता है।

गाँधी जी के अनुसार धर्म केवल निजी शुद्धिकरण का साधन नही है अपितु वह एक अत्यधिक शक्तिशाली बंधन है। भविष्य का अहिंसक समाज जिसे गाँधी जी रामराज्य कहा करते थे धर्म पर ही आधरित होगा, परन्तु इस धर्म का किसी सामुदायिक कट्टर धर्मतंत्र से सम्बन्ध जोड़ना उचित नही है बल्कि इसका अर्थ है ईश्वर मे विश्वास की पुनः स्थापना करना। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो सदैव मानव कल्याण के लिये कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार गाँधी जी धर्म आधारित राजनीति को मानव एवं समाज सेवा का श्रेष्ठ उपकरण मानते थे।

भारतीयों की धर्म में अटूट आस्था के कारण ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 25–28 तक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। जिसका उद्देश्य भारत में धर्म–निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसको और अधिक पुष्ट करने के उद्देश्य से ही 42 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि संवैधानिक और राजनीतिक पद धारण करते समय व्यक्ति को ईश्वर की शपथ लेनी पड़ती है। जिसका यह निहितार्थ है कि ईश्वर (धर्म) में आस्था रखने वाला व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कृत्य नही कर सकता है।किन्तु ब्रिटिश काल से ही धर्म का दुरूपयोग कर राजशक्ति प्राप्त करने की हर सम्भव कोशिश की जाने लगी। 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति के लिए सबसे उपयुक्त फ्रेम धर्म ही था। जिसमें लोगों को बाँटकर उन पर आसानी से शासन कार्य किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समय धर्म की चादर ओढ़कर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुताओं को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सद्भावना को बांटने का हृदय प्रयास चलता आ रहा है क्योंकि बन्धुत्व की भावना परस्पर सहयोग और सहानुभुति के आधार पर मानव को जोड़े रखने के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। अतः इस मजबूत कड़ी को तोड़ने का सबसे सरल रसायन धार्मिक कट्टरता है। जिसके स्पर्श करने मात्र से ही यह छिन्न– भिन्न हो जाती है।

स्वतंत्रता पूर्व ही सम्प्रदायवादी धारणा प्रस्फुटित होने लगी थी। जिसमें अंग्रजो ने आग में घी डालने का कार्य करते हुए इसे और कट्टर बना दिया। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भी हम धार्मिक कटुता के वातावरण से उबर नही पा रहें हैं। वर्तमान राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों के द्वारा भी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक जाने का कार्य धर्म और राजनीति के सम्बन्धो को दूषित कर किया जा रहा है। अब धर्म का प्रयोग राजनीति को स्वच्छ, निर्मल व समाज सेवा का माध्यम बनाने के लिए नहीं बल्कि जब–जब आवश्यकता पड़ती है धर्म विशेष के लोगों के मतो का ध्रुवीकरण कर सत्ता प्राप्त करने व धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया जाता है। अब तक हुए हजारों हिन्दू–मुस्लिम दंगे, धर्मान्तरण व घर वापसी जैसे कार्य निश्चित रूप से धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ की कामना रखते है। धर्म का राजनीतिक लाभ लेने का इतना घिनौना प्रयास इससे पूर्व कभी नहीं किया जाता था। धर्म की आड़ में कुछ लोगो के द्वारा आतंकवाद जैसे कुकृत्य को उचित ठहराने का कुत्सित प्रयास भी किया जा रहा है जबकि धर्म चाहे जो भी हो प्रत्येक धर्म लोगों को आपसी प्रेम और सौहार्द्र की शिक्षा देता है।

सन्दर्भ

सिंह, डॉ0 अजय कुमार,एवम् डॉ. विजय प्रताप मल्ल (2015) *भारतीय राजनीतिक चिन्तन*) आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन

वर्मा, डॉ0वी0पी0 *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन,* आगरा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल

गर्ग, सुषमा *भारतीय राजनीतिक चिन्तन,* आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन